

::निर्णयः

(आज दिनांक 13/08/2026 को घोषित)

1- अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्टतः अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त पार्श्वज को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त/अभियुक्तगण को अपराध परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

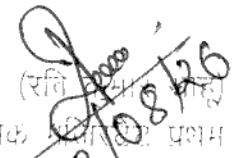
दण्डादेश या अंतिम आदेश

2- अभियुक्त को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अपराध में दोषी पाया जाकर उसे अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

1.	अभियुक्त का नाम	धारा एवं अधिनियम	कारावास एवं उसकी प्रकृति	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास
1.	<u>पार्श्वज</u>	धारा 185 मोटर यान अधिनियम		10,000/- रुपये	15 दिवस

3- जप्तशुदा वाहन का कमांक MP05 CM 1995 वाहन के पंजीकृत स्वामी को आवश्यक कार्यवाही उपरांत प्रदान की जावे।

4- कार्यवाही समाप्त करने की दिनांक 13/08/26


(रति प्रभाकर)
न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी
उत्तरांचल

संक्षिप्त विचारण अंतर्गत धारा-286, 287 बी.एन.एस.एस. 2023
न्यायालय श्री रवि कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर जिला-इन्दौर म.प्र.

म.प्र. राज्य द्वारा थाना प्रभारी पुलिस इन्दौर

समरी प्रकरण क 37700/24 / 2026
अभियोगी

विरुद्ध

अभियुक्त

अभियुक्त का नाम पैतृकता और निवास

अभियुक्त:-

पुलिस

पिता

विक्रम

उम्र

23 वर्ष

निवासी

37/2 बिल्डिंग नम्बर मोहम्मदपुर

परिवादित अपराध का विवरण

1- आपने दिनांक 13/08/24 को सुबह/रात्रि समय 3:53 बजे
के वाहन चैकिंग के दौरान स्थान राज्य मार्ग पर
इन्दौर, म.प्र. लोग मार्ग पर आपने अधिपत्य का वाहन
क्रमांक MP02 CM 199
को शराब के नशे में चलाया।

इस तरह तुम्हारा यह कृत्य अंतर्गत धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय
अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है, क्या आप अपराध स्वीकार करते हो, अथवा
विचारण चाहते हो।

(रवि कुमार साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इन्दौर म.प्र.

अभियुक्त का अभिजात एवं परीक्षण:-

पुलिस
Pooja Jain

(रवि कुमार साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इन्दौर म.प्र.